न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–457 / 2026
(खैरा थाना कांड संख्या 111 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राजेश कुमार उपाध्याय बनाम राज्य सरकार

आदेश

12.05.2026 1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **राजेश कुमार उपाध्याय** उम्र लगभग 30 वर्ष पिता–स्व0 कृष्णा उपाध्याय, साकिन–डुमरिया टांड़, थाना खैरा, जिला जमुई द्वारा खैरा थाना कांड संख्या 111 / 2026 धारा 135 विद्युत अधिनियम में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 23.03.2026 को सूचक द्वारा अपने शीर्ष पदाधिकारी के आदेशानुसार विद्युत उर्जा चोरी की रोकथाम हेतु एक जांच दल का गठन किया गया। जांच दल में सूचक के अलावा श्री अनिल कुमार पासवान (मानवबल) विद्युत अपूर्ति प्रशाखा खैरा, श्री अभिषोक कुमार (मानवबल) विद्युत अपूर्ति प्रशाखा खैरा, श्री अरूण कुमार (मानवबल) विद्युत अपूर्ति प्रशाखा खैरा, श्री रंजीत कुमार (मानवबल) विद्युत अपूर्ति प्रशाखा खैरा, श्री सौरव कुमार (मानवबल) विद्युत अपूर्ति प्रशाखा खैरा, श्री अनिल कुमार (मानवबल) विद्युत अपूर्ति प्रशाखा खैरा, सम्मिलित थे।

जांच दल समय लगभग 1:47 बजे अपराह्न में राजेश कुमार उपाध्याय पिता–स्व0 कृष्णा उपाध्याय, साकिन–डुमरिया टांड़, थाना खैरा, जिला जमुई के घरेलू परिसर पर पहुंचा तथा जांच के क्रम में पाया गया कि इनके परिसर में एक घरेलू विद्युत कनेक्शन है जिसका उपभोक्ता संख्या 239100178803 (कृष्णा उपाध्याय) के नाम से श्रेणी डी0एस01डी0 है, जो कि पूर्व में बकाया राशि पर विद्युत विच्छेदित कर दिया गया था। परंतु फिर भी राजेश कुमार उपाध्याय द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के निम्न विभव तार से अवैध एवं मनमाने ढंग से एल0टी0 लाईन में पी0वी0सी0 तार जोड़कर विद्युत उर्जा की चोरी करते पाये गये। इनके परिसर का कुल प्राक्कलित भार 447 वॉट (0.447 किलो वाट) पाया गया। इनके इस कृत्य से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को औपबंधिक रूप्प से राशि 33411 / –रू0 की राजस्व क्षति अनुमानित है। साथ ही अभियुक्त के द्वारा इतनी ही राशि का अवैध लाभ अर्जित किया गया। इनके यहां उर्जा विपत्र के मद में कुल बकाया राशि–27306 रूपया है। इस प्रकार इनके यहां कुल देनदारी 33411+27306 – 60717(साठ हजार सात सौ सत्रह) रूपया मात्र होता है। जिसके उपरांत मौके वारदात से मीटर संख्या 223651 एवं अवैध तार का आंशिक भाग को काट कर जब्त कर लिया गया।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व आवेदक की ओर से सत्र न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर आवेदक द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है इसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह कि आवेदक कुल नुकसान की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने के लिए तैयार है तथा कम्पाउन्डिग शुल्क भी जमा करने को तैयार है। आवेदक न्यायालय के सभी शर्तों को मानने को तैयार है तथा आवेदक न्यायालय के संतुष्टियोग्य बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। इस वाद में आवेदक पर आरोप है कि इनके परिसर में एक घरेलू विद्युत कनेक्शन है जिसका उपभोक्ता संख्या 239100178803 (कृष्णा उपाध्याय) के नाम से श्रेणी डी0एस001डी0 है, जो कि पूर्व में बकाया राशि पर विद्युत विच्छेदित कर दिया गया था। परंतु फिर भी

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–457/2026

(खैरा थाना कांड संख्या 111/2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राजेश कुमार उपाध्याय बनाम राज्य सरकार

12.05.2026 राजेश कुमार उपाध्याय द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कपिनी लिमिटेड, पटना के निम्न विभव तार से अवैध एवं मनमाने ढंग से एल0टी0 लाईन में पी0वी0सी0 तार जोड़कर विद्युत उर्जा की चोरी करते पाये गये। इनके परिसर का कुल प्राक्कलित भार 447 वॉट (0.447 किलो वाट) पाया गया। इनके इस कृत्य से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को औपबंधिक रूप्प से राशि 33411/–रू0 की राजस्व क्षति अनुमानित है। साथ ही अभियुक्त के द्वारा इतनी ही राशि का अवैध लाभ अर्जित किया गया। इनके यहां उर्जा विपत्र के मद में कुल बकाया राशि–27306 रूपया है। इस प्रकार इनके यहां कुल देनदारी 33411+27306 – 60717(साठ हजार सात सौ सत्रह) रूपया मात्र होता है। जिसके उपरांत मौके वारदात से मीटर संख्या 223651 एवं अवैध तार का आंशिक भाग को काट कर जब्त कर लिया गया। उक्त क्षति में धारा 152 के अन्तर्गत कम्पाउंडिंग की राशि सम्मिलित नहीं है।

चूंकि आवेदक जो एक ड्राइवर हैं तथा उसके पिता स्वर्गवाशी हैं व परिवार में अविवाहित बहने हैं तथा आवेदक द्वारा ही अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता है, उनकी समाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस वाद के तथ्यपूर्ण विवेचन एवं वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का तीस प्रतिशत (30%) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को भुगतान करने पर तथा शेष राशि को तीन बराबर किस्तों में इस आदेश से तीन माह के अन्दर जमा करने पर एवं कम्पाउन्डिंग शुल्क भी अंतिम किश्त अथवा उसके पहले जमा करने का शपथपत्र न्यायालय में देने पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक द्वारा इस आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर अधीनस्थ न्यायालय में बकाया राशि का तीस प्रतिशत (30%) शुल्क जमा कर, उसकी रसीद प्रस्तुत करने पर तथा इस आदेश में उल्लिखित बातों का शपथ पत्र दाखिल करने पर एवं आवेदक द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसर्पण करने अथवा इस वाद में पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं आवेदक द्वारा 10,000/–रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं 482(2) बी0एन0एस0एस0 में उल्लिखित शर्तों का पालन करने पर आवेदक **राजेश कुमार उपाध्याय** को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। यदि आवेदक उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो यह आदेश प्रभाहीन हो जायेगा।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।

मेमो संख्या–..... दिनांक–.....
प्रति अग्रिसारित न्यायालय–विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।